बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

श्री पंकज कुमार, तत्कालीन परियोजना प्रबंधक सह प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बेगुसराय के विरूद्ध मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अन्तर्गत जिला के लाभुकों के परियोजना स्थल एवं जिला उद्योग केन्द्र, बेगुसराय का औचक निरीक्षण दिनांक 22.06.2023 तथा 23.06.2023 को किये जाने के क्रम में 31 निरीक्षण स्थलों में 12 स्थल निरीक्षण में अनियमितता पाये जाने के कारण अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–5361 दिनांक 12.09.2023 द्वारा श्री कुमार को निलंबित करते हुए मुख्यालय–उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना निर्धारित किया गया।

श्री कुमार के विरूद्ध आरोप–पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–5369 दिनांक 12.09.2023 द्वारा बचाव के लिखित अभिकथन की मांग की गयी। उक्त पत्र के आलोक में श्री कुमार द्वारा दिनांक 05.10.2023 को बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित किया गया।

श्री कुमार से प्राप्त बचाव के लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। उनसे प्राप्त बचाव के लिखित अभिकथन असंतोषजनक पाये जाने के कारण विभागीय संकल्प ज्ञापांक–390 दिनांक 19.01.2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

श्री पंकज कुमार, तत्कालीन परियोजना प्रबंधक सह प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बेगुसराय सम्प्रति निलम्बित, मुख्यालय–उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना के सेवानिवृति की तिथि 30.04.2024 होने के कारण विभागीय संकल्प सं0–2344 दिनांक 30.04.2024 द्वारा उन्हें दिनांक 30.04.2024 के अपराह्न से निलंबन मुक्त करते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी0) के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही को सम्परिवर्तित किया गया।

निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय सह संचालन पदाधिकारी, उद्योग विभाग के पत्रांक–37/DHS दिनांक 03.05.2024 द्वारा श्री पंकज कुमार, तत्कालीन परियोजना प्रबंधक सह प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बेगुसराय सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार पर लगे आरोप संख्या–01,02,03,04,05,07,08,09,11 तथा 12 प्रमाणित एवं आरोप संख्या–06 तथा 10 अप्रमाणित पाया गया है।

निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय सह संचालन पदाधिकारी, उद्योग विभाग के पत्रांक–37/DHS दिनांक 03.05.2024 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक–3530 दिनांक 10.07.2024 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी, तदआलोक में श्री कुमार द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा उपलब्ध कराया गया।

श्री पंकज कुमार, तत्कालीन परियोजना प्रबंधक–सह–प्रभारी महाप्रबंधक सम्प्रति सेवानिवृत, जिला उद्योग केन्द्र, बेगूसराय के विरूद्ध **"बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम 43(बी) के प्रावधानों के तहत उनके 05(पाँच) प्रतिशत पेंशन की राशि 05(पाँच) वर्षों के लिए अवरूद्ध करने संबंधी विभागीय दंड प्रस्ताव"** संसूचित करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिये जाने के उपरांत विभागीय पत्रांक–3181 दिनांक 15.07.2025 द्वारा परामर्श हेतु सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को पत्र प्रेषित की गयी।

(कृ0पृ0प0)

उक्त के आलोक में श्री पंकज कुमार, तत्कालीन परियोजना प्रबंधक सह प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बेगुसराय सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध **''उनके 05 प्रतिशत पेंशन की राशि 05 वर्षों के लिए अवरूद्ध करने''** संबंधी विभागीय दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना की पूर्ण पीठ की वर्ष–2025 की 39वीं बैठक में सहमति प्रदान की गयी।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त सहमति के आलोक में श्री पंकज कुमार, तत्कालीन परियोजना प्रबंधक सह प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बेगुसराय सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध **बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम 43(बी) के प्रावधानों के तहत ''उनके 05 प्रतिशत पेंशन की राशि 05 वर्षों के लिए अवरूद्ध करने'' का दंड''** संसूचित किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(राधा कृष्ण चौहान)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– पटना, दिनांकः–
3(स0)/उ0स्था0(आरोप)–17/2023

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

निबंधित

ज्ञापांकः– पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, बेगुसराय/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बेगुसराय/ महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बेगुसराय/ श्री पंकज कुमार, सेवानिवृत्त परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बेगुसराय सम्प्रति पता–सेक्टर 4एम/162, पो0–बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, थाना–अगमकुआं, पटना–800026, मो0न0–9204392878. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः–सरकार के अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, एम0एस0एम0ई0 निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–4181 दिनांक 19.01.2026 के प्रसंग में/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/सहायक उद्योग निदेशक(लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ सचिव के निजी सहायक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0 में) एवं दो हार्ड कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 889 पटना, दिनांकः– 17/02/26

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

IT manager

सरकार के उप सचिव 17/02/26

D:\Section-3 file\Vikash Sir\Vikash Sir.doc